

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 42 / 2017

RCMS Case No. 2017/00290

प्रार्थी:-	बनाम	अप्रार्थीगण :-
श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		1 मोहनलाल पुत्र गोपीलाल जाति मेवाडा (मालिक) मैसर्स बाबुलाल मोहनलाल, बस स्टेण्ड, नाडोल जिला पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006

उपस्थित :-


1. श्री दिलीपसिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

—: निर्णय :-

दिनांक 20/9/2018

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी नियत तारीख पेशी को उपस्थित नहीं हुआ। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है। प्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 21.10.2016 को दौराने गस्त अप्रार्थी संख्या 1 की फर्म मैसर्स बाबुलाल मोहनलाल, बस स्टेण्ड, नाडोल से अप्रार्थी की उपस्थिति में वहां रखे हुए सरसो तेल (Loose) का बिल पूछा, तो अप्रार्थी ने उक्त सामग्री का बिल नहीं होना जाहिर किया, इस पर 1600 ग्राम तेल वास्ते जांच हेतु क्रय कर, उक्त क्रयसुदा सरसो तेल (Loose) को चार भागों में विभक्त कर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर-584 अंकित किया एवं नमूना का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की गई, जिस पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर हैं। उक्त सीलबन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया सरसो तेल (Loose) को Prohibited as it Contravenes Regulation No. 2.3.15 (1) (b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Prohibited सरसो तेल (Loose) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) तथा Contravenes Regulation No. 2.3.15 (1) (b) of Food


अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहा, जिसके कारण प्रकरण में अप्रार्थी के विरुद्ध गुणावगुण पर निर्णय किया जाता है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.10.2016 को अप्रार्थी की फर्म से सरसो तेल (Loose) क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर-584 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./898/एक्ट/2016/1301 दिनांक 03.11.2016 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर-399 को Prohibited as it Contravenes Regulation No. 2.3.15 (1) (b) of Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26 (2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Prohibited सरसो तेल (Loose) का विनिर्माण/विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत अप्रार्थी पर 15,000/- अक्षरे पन्द्रह हजार रुपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फ़ैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/9/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली